# कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

[illegible]

क्रमांक0 एफ ( )/एफ.सी.ए / उ.व.स /2022–23/6738 दिनांक 9·6·23

निमित्त –

Greenko Energies
Private Limited

विषय – Diversion of Forest land for the development of Shahpur (1800MW) Pumped Storage Project by M/S Greenko Energies Private Limited in Baran Territorial Forest Division, Baran Dist.
Proposal no - FP/RJ/HYD/121439/2021.( 413.9002 ha )

संदर्भः- सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा का पत्र क्रमांक 3066 दिनांक 09.06.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र की छाया प्रति संलग्न कर लेख है की उक्त कार्यालय द्वारा प्रस्ताव के पार्ट–1 मे आक्षेप लगाये गये है जिनकी पूर्ति कर शीघ्र इस कार्यालय म प्रेषित करे ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जासके।

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

क्रमांक0 एफ ( )/एफ.सी.ए./उ.व.स./2022–23/ दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 संभागीय मुख्य वन संरक्षक,कोटा

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

Scanned with CamScanner

# कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

पता–किशोरपुरा कोटा–09 (राज0), ईमेल:–ccfldp.kota@gmail.com दूरभाष:– 0744–2500194

क्रमांकःएफ13( )एफसीए / समुवसं / 2023 / 3066 दिनांक : 9.6.2023

**निमित्त,**

उप वन संरक्षक
बारां

**विषय:** Development of Shahpur (1800 MW) Standalone Pumped Storage Project in Baran District. Rajasthan by M/s Greenko Energies Private Limited-Submission of Wildlife Conservation Plan-reg.

**संदर्भ:** आपका पत्रांक एफ ( )एफ.सी.ए. / उ.व.सं. / 2022–23 / 6298 दिनांक 25.05.2023 के क्रम में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण उपरान्त निम्नांकित बिन्दुओं पर सूचनाएं / स्पष्टीकरण दिया जाना अपेक्षित है:–

1. भाग–I के बिन्दु संख्या I1 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत Clearence की आवश्यकता के संबंध में (No) अंकित किया है। जबकि प्रस्ताव के साथ वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्वीकृति दिनांक 13.04.2020 संलग्न की गयी है। जो परस्पर विरोधाभासी है।
2. भाग–I के बिन्दु संख्या I में प्रस्तावित प्रोजेक्ट किसी संरक्षित क्षेत्र में स्थित होना नही बताया गया है। पुनः चैक करें हाल ही में घोषित कंजर्वेशन रिजर्व का भाग है या नही, अगर है, तो तदानुसार संशोधन करावें।
3. भाग–I के बिन्दु संख्या J में प्रस्ताव को किसी अनुसूचित क्षेत्र में स्थित होना नही बताया गया है, स्थिति स्पष्ट करें, की प्रस्तावित क्षेत्र सहरिया अनुसूचित क्षेत्र में आता है या नही।
4. भाग–I के बिन्दु संख्या L(iii) में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एक ही जिले में कराया जाना अवगत कराया है जबकि भाग–II के अनुसार NFL जिला जैसलमेर व DFL जिला बारां में होना अवगत कराया है।
5. प्रस्ताव के साथ संलग्न मक डिस्पोजल योजना के कुल 15.61 Mcum मक उत्पादन का आंकलन किया गया है उक्त मक में से कितना परियोजना के उपयोग में लिया जाएगा उल्लेख नही किया गया है। चूंकि उत्पादित मक वन उपज की श्रेणी में आता है। अतः राशि का आंकलन कर विभाग में जमा कराने की वचनबद्धता प्रस्तुत की जावे।
6. परियोजना के संबंध में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक 13.04.2020 से जारी अतिरिक्त ToR के बिन्दू संख्या viii, xiii तथा xxvi के संबंध में कोई योजना प्रस्तुत की गयी है ना ही इस संबंध में कोई वचनबद्धता प्रस्तुत की गयी है।
7. पार्ट–II के बिन्दु संख्या 4(ii) में परियोजना में आने वाले वृक्षों की सूची के कॉलम–3 (लोकल नाम) में क्षेत्र में उपलब्ध प्रजातियों के नामों की स्पेलिंग में बहुत कमियां है दूरूस्त करे तथा (Other) अन्य के सामने अंकित लोकल नाम के अलावा कोष्ठक में वैज्ञानिक नाम भी अंकित करें।
8. पार्ट–II के बिन्दु संख्या–4 अथवा संलग्न प्रस्ताव में आने वाले पेड़ो का संकलित गणना प्रपत्र से यह स्पष्ट नही हो रहा है कि प्रस्तावित सम्पूर्ण क्षेत्र में 12604 पौधे उपलब्ध है या सेम्पल क्षेत्र में है अगर सेम्पल क्षेत्र में है तो कितने क्षेत्रफल में है, स्पष्ट करें।

Signature valid
Digitally signed by Mahesh Chand Gupta
Designation : Chief Conservator Of Forest
Date: 2023.06.09 0?:58:56 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3987076

Scanned with CamScanner

यदि वृक्षों की संख्या सेम्पल क्षेत्र में है तो प्रथम स्तरीय स्वीकृति के बाद विस्तृत गणना कर परियोजना क्षेत्र में आने वाले सम्पूर्ण वृक्षों की प्रजातिवार गणना की अण्डरटेकिंग लेकर प्रस्तुत करें।

9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह स्पष्ट नही किया गया है कि परियोजना क्षेत्र में आने वाले कितने वृक्षों का पातन होगा। पातन की स्थिति में वृक्षों को काटकर विभागीय डिपो पर परिवहन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किए जाने संबंधी अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करावें।
10. पार्ट–II के बिन्दु संख्या–4 में FRR-2 व FRL-4 में वृक्षों की संख्या निल बतायी गयी है, स्थिति स्पष्ट करें।
11. पार्ट–II के बिन्दु संख्या–5 में working plan prescription प्लांटेशन वर्किंग सर्किल दर्ज किया गया है जो उपलब्ध वनस्पति के घनत्व को देखते हुए सही प्रतीत नही होता है इसे प्रोटेक्शन वर्किंग सर्किल में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।
12. पार्ट–II के बिन्दु संख्या 8(i) में क्षेत्र के आस–पास उपलब्ध वन्यजीवों की प्रजातियों को पुनः चैक कर गत पांच वर्ष की वन्जीव गणना के आधार पर अंकित किया जाना अपेक्षित है।
13. पार्ट–II के बिन्दु संख्या 8(v) RTE प्रजातियों Flora and Fauna का नही होना बताया है जो क्षेत्र में उपलब्ध वनस्पति तथा 8(i) में दी गयी वन्य प्रजातियों को देखते हुए विरोधाभासी है। सही स्थिति प्रदर्शित करें।
14. आपके द्वारा प्रस्तावित परियोजना के क्षेत्र में 8 फीट ऊँची दीवार तथा दोनों क्षेत्रों को जोड़ने हेतु 4–5 अण्डर पास देने तथा 615 हैक्टर में वृक्षारोपण प्रस्तावित किया है किन्तु इसका कोई युक्तियुक्त आधार नही बताया गया है। अण्डर पास कहाँ और कैसे बनेगें स्पष्ट नही है। इन कार्यो का पुनः विशलेषण करें अगर कोई कार्य करवाया जाना आवश्यक है तो अपने स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित करें।
15. आपके द्वारा एन0एफ0एल0 में लगाये जाने वाले पौधों से अवशेष पौधों हेतु वन मण्डल बारां में डी0एफ0एल0 सूमेरा भोयल ब्लॉक में प्रस्तावित किया है किन्तु उक्त वनखण्ड का उल्लेख चैक लिस्ट संख्या–18 में नही किया गया है।
16. आपके द्वारा चैक लिस्ट–16 में स्थल निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो पूर्ण प्रतीत नही होती है। रिपोर्ट के बिन्दु संख्या ए व बी में जो लागू हो उसे बोल्ड, किया जाना अपेक्षित है। बिन्दु–सी में वांछित अनुसार रिपोर्ट अपेक्षित है।
17. भूमि उपयुक्तता प्रमाण पत्र केवल एन0एफ0एल0 हेतु दिया गया है जबकि डी0एफ0एल0 हेतु भी अपेक्षित है।
18. पार्ट–II के बिन्दु संख्या–2 के अनुसार प्रस्तावित वनभूमि रक्षित वनभूमि है इसके गजट नोटिफिकेशन की प्रति संलग्न की जानी अपेक्षित है।
19. पार्ट–II के बिन्दु संख्या–15 में स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में संशोधन अपेक्षित है साथ ही एरिया 413.9002 के स्थान पर 413.0092 हैक्टर लिखा गया है, [illegible]।
20. एन0एल0एल0 के लिए जो सी0ए0 स्कीम तैयार की [illegible] में संशोधन किया जाना है।

Signature valid
Digitally signed by Mahesh [illegible] Gupta
Designation : Chief Conservator Of Forest
Date: 2023.06.09 [illegible]:58:56 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3987076

Scanned with CamScanner

21. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा लोअर रिजर्वेयर से रोड़ अपर रिजर्वेयर के प्रारम्भिक होने तक ही दर्शायी गई है। क्या अपर रिजर्वेयर तक रोड़ नही बनेगी। यदि हो तो आगे एन0एच0–76 तक रोड़ बनाने की आवश्यकता क्यों है? यदि नही तो संशोधन करावें।

22. अपर रिजर्वेयर से एन0एच0–76 तक रोड़ वनभूमि के मध्य में से निकाली गयी है जिसमें वन खण्ड दो भागों में विभक्त हो गया है। यह रोड़ वनखण्ड की सीमा पर कालोनी गांव की ओर की राजस्व भूमि में लिया जावे तदनुसार प्रस्ताव में संशोधन कराया जावें।

भवदीय

(महेश चन्द गुप्ता)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

Signature valid
Digitally signed by Mahesh Chand Gupta
Designation : Chief Conservator Of Forest
Date: 2023.06.09 [illegible]:58:56 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3987076

Scanned with CamScanner